



Neutral Citation No. - 2026:AHC:54845

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 9137 वर्ष 2026

रूपेश

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

....प्रतिपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : धरम सिंह, कुमारी पूनम राजपूत, प्रेम बाबू वर्मा
प्रतिपक्षी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन,

1. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता कुमारी पूनम राजपूत और राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री इमरान खान को सुना।
2. यह जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मामला अपराध संख्या 208 वर्ष 2025, अंतर्गत धारा 85, 80(2) और 351(2) भारतीय न्याय संहिता और धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, पुलिस स्टेशन अनूपशहर, जिला बुलंदशहर में परीक्षण की लंबितता के दौरान उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक की विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि आवेदक मृतका का पति है, लेकिन झूठे आरोप के आधार पर उसे इस मामले में अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे तर्क दिया कि वास्तव में विवाह के बाद मृतका को कुछ स्त्री रोग संबंधी समस्याएँ थीं और वह लगातार चिकित्सा उपचार ले रही थीं और वर्ष 2024 की उनकी चिकित्सा निदान पर्ची इस जमानत आवेदन के साथ संलग्न है और जब वह गर्भवती हुई, तो स्त्री रोग संबंधी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समस्या के कारण उन्हें यह आशंका हुई कि वह बच्चे को सुरक्षित रूप से जन्म नहीं दे पाएंगी। इसलिए, वह भयभीत थीं और उन्होंने अपने मायके जाने की जिद की, लेकिन चिकित्सकीय सलाह के कारण आवेदक और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें अनुमति नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।

5. इसके बाद वह यह तर्क देती हैं कि वर्ष 2024 में मृतका की चिकित्सा रिपोर्ट से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि वह गर्भाशय से रक्तस्राव से पीड़ित थी और उसका इलाज चल रहा था।

6. वह आगे कहती हैं कि मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यही पता चलता है कि उसकी मौत फांसी लगाने से हुई थी।

7. उन्होंने आगे बताया कि दुर्भाग्यपूर्ण घटना के तुरंत बाद मृतका के परिवार वालों और पुलिस को सूचित किया गया और उसके बाद मृत्यु-जांच की गई। 18.5.2025 को पूछताछ के दौरान सूचनाकर्ता भी मौजूद था, लेकिन छह दिन बाद 24.5.2025 को उसने इस मामले की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई और यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट दहेज की मांग के संबंध में यातना के झूठे और निराधार आरोप पर आधारित है और वास्तव में यह दहेज हत्या का मामला नहीं है।

8. वह आगे यह भी कहती हैं कि वर्तमान मामले के अलावा आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 6.6.2025 से जेल में है, यानी पिछले नौ महीनों से अधिक समय से।

9. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का विरोध तो किया, लेकिन आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तथ्यों के आधार पर दिए गए तर्क का खंडन नहीं कर सके।

10. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और मामले के अभिलेख का परिशीलन किया है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. हालांकि, आवेदक मृतका का पति है और उसके पत्नी की विवाह के एक साल के भीतर ही असामान्य परिस्थितियों में उसके ससुराल में मृत्यु हो गई थी। पचास हजार रुपये और एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर यातना देने का भी आरोप है, लेकिन मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि उसकी मृत्यु फांसी से हुई है, इसलिए इस स्तर पर मृतका द्वारा आत्महत्या की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

12. इसके अलावा, मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह भी पता चलता है कि मृत्यु के समय मृतका गर्भवती भी थी, लेकिन वर्ष 2024 के मृतका के चिकित्सा निदान को ध्यान में रखते हुए, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान बताए गए आत्महत्या के कारण को इस स्तर पर पूरी तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है।

13. इसके अलावा, इस मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में भी छह दिन की देरी हुई है। हालांकि, इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना के तुरंत बाद सूचनाकर्ता पक्ष को सूचित कर दिया गया था और सूचनाकर्ता 18.5.2025 को मृत्यु-जांच कार्यवाही के दौरान उपस्थित था और वह भी मृत्यु-जांच के साक्षियों में से एक था।

14. इसके अलावा, आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वह 6.6.2025 से जेल में है, यानी पिछले नौ महीनों से अधिक समय से।

15. अग्रेतर, कानून में यह स्थापित है कि जब तक दोषी सिद्ध न हो जाए, अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है और जमानत आवेदन को दंडात्मक या निवारक प्रयोजनों के लिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए।

16. अतः, ऊपर बताए गए मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मेरी राय में आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

17. तदनुसार, मामले के गुणदोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



18. उपरोक्त मामले में आवेदक- **रूपेश** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप उसके व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानती प्रत्येक समान राशि के पेश करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक को निर्धारित तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना होगा, जब तक कि उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।

(ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(iii) आवेदक किसी भी आपराधिक और असामाजिक गतिविधि में लिप्त नहीं होगा।

19. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, अभियोजन पक्ष आवेदक की जमानत रद्द करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होगा।

20. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां किए गए संप्रेक्षण जमानत आवेदन के निपटारे से संबंधित पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त संप्रेक्षणों का विचारण के दौरान मामले के गुणदोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18 मार्च, 2026

एसकेएम

(न्यायमूर्ति समीर जैन)

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।